भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 450959

कार्यालय उपकोषाधिकारी
-अमरोहा
18 FEB 2015
उपकोषाधिकारी

न्यास विलेख

हम कि 1– कमल कान्त जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन निवासी बी–9, सेक्टर–33, नौएडा 201301 जिला गौतम बुद्धनगर उ0प्र0 (पैन नं0 AAGPJ7029J) 2– श्रीमती संगीता कान्त पत्नी श्री कमल कान्त जैन निवासी बी–9, सेक्टर–33, नौएडा 201301 जिला गौतम बुद्धनगर उ0प्र0 (पैन नं0 AAJPK 3437G) 3– रूपचन्द जैन पुत्र श्री स्व0टेकचन्द जैन निवासी बी–9, सेक्टर–33, नौएडा 201301 जिला गौतम बुद्धनगर उ0प्र0 (पैन नं0 AAJPJ8841K) 4– अंजली तोमर पुत्री श्री रविन्द्र नाथ तोमर निवासी एच–205, गंगानगर मेरठ जिला मेरठ (पैन नं0 ATTPT 5018M) के हैं जिन्हें आगे न्यासीगण (व्यवस्थापक) कहा गया है न्यासीगण (व्यवस्थापक) की इच्छा समाज सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिए न्यासीगण (व्यवस्थापक) ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है जोकि व्यवस्थापना धनराशि अंकन 40,000/– (चालीस रूपये) के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उददेश्यों की पूर्ति हेतु न्यासीगण (व्यवस्थापक) ने उक्त राशि अंकन चालीस हजार रूपये को इस उददेश्यो से हस्तान्तरित कर दी और दे दी हे कि न्यासीगण (व्यवस्थापक) उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अर्न्तगत बतौर न्यासीगण रखेंगें। उवत न्यासीगण (व्यवस्थापक) ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम न्यासी गण होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः शान्ति पूर्वक विचार करके स्वस्थ्य मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में न्यासीगण (व्यवस्थापक) निम्न प्रकार ट्रस्ट स्थापित करते है :–

22 272/15

क्र०.........दि०.........15.....कीमत....1000

नाम पता............................

कमल कान्त जैन, चिन्तन जैन, ...

अनीता अग्रवाल स्टाम्प विक्रेता
मो० कायस्थान, हसनपुर ला०न०-1

(A)

1000×1 = 1000

500×1 = 500

न्यास विलेख 100×1 = 100

1600

400+20 = 420-

निबन्धन शुल्क, मिलान शुल्क भाग शब्द लगभग 800

श्री कमल कान्त जैन पुत्र/पत्नी S/श्री फूल चन्द जैन

पेशा............ निवासी B.9 सैक्टर 33 नौएडा 201301 जि. गौतम बुद्धनगर UP.

....

~~परगना व तहसील धनौरा जिला अमरोहा में~~

आज दिनांक 11-3-2015 दिन.......................

समय मध्य 73 बजे दिन के ... किया।

उप निबन्धक

11-3-2015

धनौरा

~~इस लेखपत्र को सुन व समझकर व नकल~~

~~प्राप्त कर विक्रेता श्री~~ कमल कान्त जैन उक्त व

श्रीमति संगीता कान्त Wi. श्री कमल कान्त जैन नि. उक्त

व श्री ... चन्द जैन S/o टेक चन्द जैन नि० उक्त

व श्रीमति अंजली तोमर D/o श्री राजेन्द्र ... तोमर

नि० H 205 ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 872444

कार्यालय उपकोषाधिकारी
11 FEB 2015

1— यह कि ट्रस्ट का नाम "<u>अनीकान्त ऐजूकेशन एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट</u> **<u>(ANEKANT EDUCATION & WELFARE TRUST)</u>**" होगा।

2— यह कि ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय होटल बसन्त गजरौला पो0 गजरौला तहसील धनौरा जिला अमरोहा रहेगा। परन्तु न्यासीगण (व्यवस्थापक) की सहमति से ट्रस्ट का कार्यालय किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है अथवा इसकी शाखाएं भारत वर्ष के अन्य स्थानों पर खोली जा सकती है।

3— यह कि ट्रस्ट का कोष अंकन 40,000/— (चालीस हजार) रूपये जो न्यासीगण (व्यवस्थापक) द्वारा जमा किये गये हैं और यह कोष ट्रस्ट की सम्पत्ति हो गया है, और इसका प्रयोग ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति जैसाकि इस विलेख में आगे निर्देशित किया गया है, हेतु करेगें। ट्रस्ट का कोष भविष्य में दान, अभिदान, अंशदान भण्डार सग्रंह, चन्दा, वसीयत, अनुदान आदि के द्वारा प्राप्त धन व सम्पत्ति से बनेगा जिसे ट्रस्टी गण अपने अधिपत्य में लेकर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग करेगें

---- 2 पर

क्र०...23... दि०...24-2-15... कीमत...5/-...
नाम पता...............................
अजय पाल सिंह

अनीता अग्रवाल स्टाम्प विक्रेता
मो० कायस्थान, हसनपुर ला०न०-1

उक्त निष्पादन कर्ताओं की पहचान श्री अजय पाल सिंह
पुत्र श्री विजय पाल सिंह पेशा
निवासी बसन्त होटल जनपद/ग्राम व तहसील धनौरा
जिला अमरोहा व श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
पुत्र श्री वेद प्रकाश पेशा
निवासी नवीकला तहसील धनौरा व डीडा
जिला अमरोहा ने किया।
बयान द० ए०

उप निबन्धक
धनौरा 11-3-2015

...का प्रकटता व सज्जन...
...अनुसार किये गये...

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 087214

2 1 JAN 2015

–3–

4– यह कि ट्रस्टीगण फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओ की स्थापना व सचांलन सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेगें तथा न्यासीगणों को समय–समय पर न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5– यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण, गैर सरकारी संस्थाओं, व्यक्तियो,संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6– यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यो में सें किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वागींण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

(1) मेंडिकल कालिज, डेन्टल कालिज, पैरा मेडिकल कालिज एवं अस्पताल की स्थापना, व संचालन करना।

(2) अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थानों की स्थापना करना एवं संचालन करना।

(3) स्कूल, कालिज, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं, व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

(4) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

(5) जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना।

(6) अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछडे वर्ग तथा समाज के सभी वर्गो के जरूरत मन्द छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सहायता आदि प्रदान करना।

(7) अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एंव रसायन शालाओं का संचालन एंव स्थापना करना।

(8) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना शहरो एवं गांवो में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो, खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे न हो पाये।

(9) निरीह प्राणियों, पशु पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

(10) स्कूल व कालिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के लिए जागृति करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

(11) लड़कियों/महिलाओं, युवाओं एवं वयस्को के शैक्षिक उन्नयन हेतु केन्द्र स्थापित करना एवं उनका संचालन करना।

(12) शैक्षिक किताबों, पेपर का प्रकाशन करना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हॉस्टल आदि की स्थापना व संचालन करना।

(13) समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना।

(14) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

(15) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना।

(16) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।

(17) गरीबों को सहायता देना व जरूरत मन्द लोगो को शिक्षा व स्वास्थ्य लाभ देना, भारत में विवाह संस्कार में मदद देना व सार्वजनिक उपयोग के सभी सामान्य उद्देश्यों के विस्तार में मदद करना।

7– यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा।

8– यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9– यह कि न्यासीगण फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी समय या अवसर पर जैसेकि ट्रस्टीगण उचित समझे उपरोक्त उनके कार्यो में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

Kant Roopesh Anjli

10- यह कि अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर समान अधिकार होगा अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष अपने-अपने उत्तराधिकारी घोषित करते हुए एक विल (वसीयत) रजिस्टरी कार्यालय में पंजीकृत करायेंगें। अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष की मृत्यु के बाद पंजीकृत विल (वसीयत) में नामित व्यक्ति या व्यक्तियों का अधिकार ट्रस्ट पर या ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा। किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर या ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।

11- यह कि व्यवस्थापक/ट्रस्टी, ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष, सचिव एंव कोषाध्यक्ष नियुक्त करेगें तथा अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु उपाध्यक्ष व उप सचिव नियुक्त करेगें। अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा व उपाध्यक्ष व उप सचिव का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। उपाध्यक्ष एवं उप सचिव अपने कार्यकाल से पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं। निवर्तमान पदाधिकारियों का पुनः चयन हो सकता है। अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष उक्त पदाधिकारियों को उनके कार्यकाल से पहले भी उनके पद से हटा सकते हैं।

12- ट्रस्ट की किसी भी नीति का निर्धारण या सभी प्रकार के निर्णय अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की सहमति से ही होगा।

13- श्री कमल कान्त जैन उक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष, श्रीमती अंजली तोमर उक्त ट्रस्ट की प्रथम सचिव एवं श्रीमती संगीता कान्त उक्त ट्रस्ट की प्रथम कोषाध्यक्ष होंगी।

14- यह कि उक्त ट्रस्टीगण पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगें।

<u>अध्यक्ष :-</u> ट्रस्ट का प्रबन्धन, व संचालन, ट्रस्ट की समस्त सभाओं की अध्यक्षता करेगा। ट्रस्ट की बैठक बुलाने व ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सचिव एंव कोषायक्ष को निर्देश एवं सहयोग प्रदान करना, ट्रस्ट की बैठको के लिए समय, दिनाक आदि का अनुमोदन करना एव बैठको की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना।

<u>उपाध्यक्ष :-</u> अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के समस्त दायित्वों का वहन करेगा।

<u>सचिव :-</u> ट्रस्ट की बैठको में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना, ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना। ट्रस्ट के दैनिक कार्य कलाप को सुचारू रूप से संचालित करना, सभी बैठको को समयानुसार एवं अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना, सभी बैठको की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष से सत्यापित कराना, अगली बैठक को बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी, ट्रस्टियों को भेजना, ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

<u>उप सचिव :-</u> सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

कोषाध्यक्ष :- ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना, ट्रस्ट की समस्त आय एवं व्यय का पूर्ण विवरण रखना, अध्यक्ष, एंव सचिव के साथ मिलकर बैंक खाते खोलना एवं उनका संचालन करना, ट्रस्ट की आय व्यय की वार्षिक रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर अध्यक्ष एंव सचिव से अनुमोदित कराना, अध्यक्ष एंव सचिव कै समान सभी कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वाह करना।

15- यह कि ट्रस्ट के महत्वपूर्ण कार्य जैसे -न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन-देन, निर्माण,मान्यता, सम्बद्धता आदि सहमति से अध्यक्ष सचिव एंव कोषाध्यक्ष करेगें। किसी महत्वपूर्ण अथवा आपात कालीन समस्या के लिए आपात कालीन बैठक जो अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी, सर्व सम्मति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष अपना आदेश प्रदान करेंगें।

16- यह कि ट्रस्टीगण समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक एवं पारमार्थिक कार्यो के प्रबन्धन एंव संचालन हेतु अपने विवेक अनुसार एक या अधिक प्रबन्ध समिति का निर्माण कर सकते है जिनमें से स्वंय या उनमें से एक ट्रस्टी अथवा अन्य व्यक्ति तथा व्यक्तियों को नियुक्ति करने का अधिकार होगा ट्रस्टीगण ऐसे प्रबन्ध कार्यो के उद्देश्यो कें संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टियों द्वारा उचित समझे जाये प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतया ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के अध्यक्ष सचिव एंव कोषाध्यक्ष होगें।

17- यह कि अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की मृत्यु के बाद उनके द्वारा विल (वसीयत) में नामित व्यक्ति ही ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होगें और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा।

18- यह कि अध्यक्ष सचिव एंव कोषाध्यक्ष को अन्य ट्रस्टी रखने, सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा।

19- यह कि ट्रस्ट के नाम, नियम, उद्देश्यो में परिवर्तन का अधिकार, अध्यक्ष, सचिव एंव कोषाध्यक्ष को होगा।

20- यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार आवश्यक होगी। किसी भी ट्रस्टी को सात दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय पर सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक ट्रस्ट के कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगणों को अन्य स्थान पर जंहा ट्रस्टीगण उचित समझें उस स्थान पर भी बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

21- यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों का 1/3 अथवा किन्हीं तीन ट्रस्टियों का जो भी अधिक होगा, होगा। यदि कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित बैठक भी कोरम पूरे किये बिना नहीं हो सकती।

Roopel Anjli

22— यह कि उक्त न्यासीगण ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें। उक्त न्यासीगणों की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

23— यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति, प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होगें। तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, ऐजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि अथवा प्रतिभूतियां रखी गयी हैं, और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य, घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर, परन्तु वह उनके द्वारा जान बूझकर की गई चूक अथवा व्यक्ति गत कारणों से न हुआ हो, तो ट्रस्टी गण उसके लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होगें।

24— यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के उद्देश्यो से सम्बन्धित कार्य हेतुं किसी भी ऐजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगणों में निहित शक्तियों को प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

25— यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के नाम चालू खाता, सावधि जमा खाता, सेविंग खाता, ओवर ड्राफट खाता एंव अन्य सभी प्रकार की बैकिंग खाते किसी भी संस्था जो बैकिंग का व्यवसाय करती हो, में खोल व रख सकतें हैं। परन्तु उक्त सभी बैकिंग खातो का संचालन तीनों पदाधिकारियों के सयुंक्त हस्ताक्षरों से होगा जिनमें अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होगें।

26— यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति एवं खर्चो व ट्रस्ट फण्ड व सॅम्पत्तियों की सम्पूर्ण बजाब्ता हिसाब उचित तरीके से रखेगें और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का आय—व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगें जो अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

27— यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों/संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

28— यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेगे तथा जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे वह पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर देने, हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार के अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।

29— यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या सम्पत्तियों के किसी भाग को एक साथ या खण्डो में सार्वजनिक नीलाम या प्राईवेट संविदा द्वारा सशर्त या बिना शर्त क्रय, विक्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उनमें हुई किसी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगें।

Page-46

30— यह कि अध्यक्ष , सचिव एंव कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट के उद्देश्योंके लिए समय—समय पर उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्क्ष को ट्रस्ट की सम्पत्ति को बन्धक रखकर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को विकय करने का भी अधिकार होगा। इन सभी कार्यो को करने का अधिकार अध्यक्ष सचिव एंव कोषाध्यक्ष को होगा।

31— यह कि उक्त न्यास के लिए जो भी सम्पत्ति कय की जायेगी वह न्यास के नाम से कय की जायेगी जिसको उक्त तीनो पदाधिकारियों अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से कोई भी एक व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करके कय कर सकता है।

32— यह कि अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों को किराये पर देने, व सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

33— यह कि ट्रस्टीगण को समय—समय पर एक या अधिक निदेशक, सुपरिन्टेन्डेन्ट, सुपरवाईजर, क्लर्क, एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी को नियम एवं शर्तो के अधीन नियुक्त करने एवं पारिश्रमिक निर्धारित करने एवं देने का अधिकार होगा एवं उक्त सभी को निलम्बित, कार्यमुक्त एंव हटाने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को होगा।

34— यह कि न्यास के लिए यह वैधानिक होगा कि वह अतिरिक्त धन का संचय कर सकते है तथा उसका विनियोजन भी आवश्यकतानुसार समय—समय पर भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अर्न्तगत कर सकते है।

35— यह कि एतद द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारण वश उक्त ट्रस्टीगण ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हो तो ट्रस्ट की सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों का निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं। तथा इसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी वह ट्रस्टीगणों द्वारा वहन किया जायेगा।

<u>उक्त न्यास विलेख दिनांक 03—03—2015 को निष्पादित कर पंजीकृत कराया था जिसकी रजिस्टरी कार्यालय उप निबन्धक धनौरा में बही नं0 04 जिल्द 12 के पृष्ठ 1/16 में नं0 06 पर दिनांक 11—3—2015 को हुई है उक्त न्यास विलेख के पृष्ठ 4 में वर्णित 17 उद्देश्यो में कुछ कमी होने के कारण निम्नलिखित चार उद्देश्य कं0 18, 19, 20 व 21 सम्मिलित किये गये है जिन्हें उक्त न्यास विलेख सख्या 06/2015 के साथ पढा व माना जाये और उसी का भाग माना जाये।</u>

(18) ट्रस्ट/संस्था छात्र/छात्राओं विशेषतः जैन छात्र/छात्राओं के विकास हेतु बेसिक एवं माध्यमिक/उच्च/तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करेगा।
(19) ट्रस्ट/संस्था छात्र/छात्राओं विशेषतः जैन छात्र/छात्राओं के लिए अलग—अलग होस्टल की व्यवस्था करेगा।
(20) ट्रस्ट/संस्था गरीब छात्र/छात्राओं विशेषतः जैन छात्र/छात्राओं को यथा सम्भव आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।
(21) ट्रस्ट/संस्था छात्र/छात्राओं के विकास हेतु सिलाई/कढाई/कम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा कौशल विकास का प्रबन्ध करेगा।

Anekant College Of Higher Education

Manager

सत्यापित प्रति

पढ़ने वाला..........

मिलान कर्ता ....

उप निबन्धक धनौरा..........

सत्यापित प्रति

धनौरा

अतः बतौर प्रमाण सभी न्यासीगणों नें इस पूरक न्यास प्रलेख को आज दिनांक 06.01.2016 को स्वेच्छा से हस्ताक्षरित किया है।

गवाह नं01 अजयपाल सिंह पुत्र स्व0 विजयपाल सिंह
निवासी बसन्त होटल गजरौला
तहसील धनौरा जिला अमरोहा

गवाह नं02 विश्वबन्धु पुत्र स्व0 राजेन्द्रपाल सिंह
निवासी किसान कोल्ड स्टोरेज धनौरा
तहसील धनौरा जिला अमरोहा

यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 06.01.2016 को बामुकाम तहसील धनौरा में श्री रास बिहारी अग्रवाल एडवोकेट द्वारा तैयार की गई। तथा फोटो प्रमाणित किये गये।

6-1-2016

सत्यापित प्रति
पढ़ने वाला..........................
मिलान करने वाला..........................
उप निबन्धक धनौरा..........................

सत्यापित प्रति
पढ़ने वाला..........................
मिलान करने वाला..........................
उप निबन्धक धनौरा..........................

Anekant College Of Higher Education

Manager

आज दिनांक 06/01/2016 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 13

पृष्ठ सं. 191 से 210 पर कमांक 3

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजमल मुस्तफा रिजवी
उप निबंधक धनौरा
धनौरा
6/1/2016

05-02-2016